01. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012

Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO ACT)

धारा–2 परिभाषाएं–1. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
(क) 'गुरूतर प्रवेशन लैगिंक हमला'– का वही अर्थ है जो धारा–5 में है।
(ख)'गुरूतर लैगिंक हमला'–का वही अर्थ है जो धारा 9 में है।
(ग)'सशस्त्र बल या सुरक्षा बल'– से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची मे यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है।
(घ)'बालक'–से ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है अभिप्रेत है।
(ड)'घरेलू संबंध' का वही अर्थ है जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम–2005 (2005 का 43) के खण्ड–2(च) में हैं।
(च)' प्रवेशन लैगिंक हमला'– का वही अर्थ है जो धारा 3 में है।
(छ)'विहित'–से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमो द्वारा विहित अभिप्रेत है।
(ज)'धार्मि संस्था'–से उसका वही अर्थ है जो धार्मिक संस्था(दुरूपयोग निवारण)अधिनियम,1988(1988का41)में है।
(झ) 'लैगिंक हमला'– का वही अर्थ है जो धारा 7 मे है।
(ञ)'लैगिंक उत्पीडन' का वही अर्थ है जो धारा–11 मे है।
(ट)' सांझी गृहस्थी'–से ऐसी गृहस्थी जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति या किसी प्रक्रम पर बालक के साथ घरेलू संबंधी के रूप में रहा है, अभिप्रेत है।
(ठ)'विशेष न्यायालय'–से धारा 28 के अधीन इस प्रकार अभिहित न्यायालय अभिप्रेत है।
(ड)'विशेष लोक अभियोजक'–से धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक अभिप्रेत है।
(2) उन शब्दो और पदो के, जो इसमे प्रयुक्त है और परिभाषित नही है किंतु भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का45), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(2000 का 21) में परिभाषित है वहीं अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियम में है।

क–प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

धारा 3.प्रवेशन लैंगिक हमला – कोई व्यक्ति ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' करता है यदि वह–
(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या
(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक सेउसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथऐसा करवाता हैं, या
(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता हैं, या
(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

धारा 4.प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड– जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ख– गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

धारा 5.गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला–(क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर–
(1) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या
(2) किसी थाने के परिसर, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जहां उसकी नियुक्ति की गई हैं, प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या

PTS JODHPUR

(3) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या
(4) जब वह पुलिस अधिकारी के रुप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की जाए., या
(ख) जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर –
(1) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहां वह व्यक्ति तैनात है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या
(2) बलों या सशस्त्रबलों की कमान के अधीन क्षेत्रों में, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या
(3) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या
(4) जहां सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रुप में ज्ञात या पहचाना गया उक्त व्यक्ति, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या
(ग) जो कोई लोक सेवक होते हए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या
(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह (रिमांड होम), संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित देखरेख और संरक्षण के किसी स्थान का प्रबंध या कर्मचारवृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या देखेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या
(ड़) जो कोई किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या
(च) जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या
(छ) जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या
स्पष्टीकरण–जहां किसी बालक पर, कि एक या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा उसके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खण्ड के अर्थातंगर्तत गैंग प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जाना समझा जायेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उस रीति में दायी होगा जैसे कि वह कार्य उसके द्वारा अकेले किया गया था; या
(ज) जो काई घातक आयुध, आग्नेयास्त्र, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या
(झ)जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करके किसी बालक को घोर उपहति कारित करता है, या उसके/उसकी जननेंद्रियों को शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति या क्षति पहुंचाता है; या
(ञ) जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे–
(1) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987(1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ठ) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ह्रास कारित करता है जिससे बालक कार्य करने में अयोग्य हो जाता है; या
(2) बालिका की दशा में, वह लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप, गर्भवती हो जाती है;
(3) बालक को ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी वायरस या अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से स्थायी व अस्थायी रूप से ग्रस्त कर देता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य करके स्थायी व अस्थायी रूप से ह्रास कर सकता है; या
(ट) जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्तता का लाभ उठाकर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;
(ठ) जो कोई किसी बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ड) जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ढ)जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता या पोषण करने वाला नातेदार या बालक के माता–पिता के साथ घरेलू संबंध या बालक के साथ सांझे गृहस्थ में रहते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ण) जो कोई बालक को सेवा प्रदत्त करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

PTS JODHPUR

(त) जो कोई किसी बालक का न्यासी या प्राधिकारी की स्थिति में होते हुए किसी संस्था या बालक के गृह या कही और बालक पर लैंगिक हमला करता हैं; या
(थ) जो कोई यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(द) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयास करता है; या
(ध) सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं; या
(न) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय किसी लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्व किया गया हैं; या
(प) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा करता है या नंगा करके प्रदर्शन करता है;
उसके द्वारा गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया माना जायेगा।

धारा 6.गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड– जो कोई गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नही होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ग–लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

धारा 7 लैंगिक हमला– जो कोई, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छुता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छुने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक सम्पर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जायेगा।

धारा 8 लैंगिक हमले के लिए दंड– जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जूर्माने से भी दंडनीय होगा।

घ– गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिये दंड–

धारा 9– गुरुतर लैंगिक हमला–(क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुये, किसी बालक पर–
(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहॉ उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ii) किसी थानें के परिसर, चाहे उस पुलिस थानें में अवस्थित है या नही जहॉ उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(iii) अपने कर्त्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(iv) जहॉ कोई, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात है या पहचाना गया व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमाल करता है; या
(ख) जो कोई सशस्त्र या सुरक्षा का सदस्य होते हुये बालक पर–
(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहॉ वह व्यक्ति तैनात है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ii) बलों या सशस्त्र बलों कमान के अधीन क्षेत्रों में, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(iii) अपनें कर्त्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(iv) जहॉ सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात या पहचाना गया उक्त व्यक्ति, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुये, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह(रिमांण्ड होम), संरक्षण गृह, संप्रेषण या अभिरक्षा या तत्त्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित देखरेख और संरक्षण के किसी स्थान का प्रबंध या कर्मचारी वृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेषण या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

PTS JODHPUR

(ड) जो कोई किसी अस्पताल, चाहे सरकारी हो या प्राईवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुये उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;या
(च) जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुये उस स्थान में किसी बालक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;या
(छ) जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;या
(ज) जो कोई घातक आयुध आग्नेयास्त्र, गर्म पर्दाथ या संक्षारक पर्दाथ का प्रयोग करते हुये किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(झ)जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करके किसी बालक को घोर उपहति कारित करता है या उसके/उसकी जननैद्रियों को शारीरिक रूप से नुकसान या क्षति पहुॅचाता है; या
(ञ) जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला जिससे–
(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 खण्ड (ठ) के अधीन यथा परिभाषित मानसिक रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का हास्य कारित करता है जिससे बालक कार्य करने में अयोग्य हो जाता है;
(ii) बालक को एच0आई0वी या अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से स्थायी या अस्थायी रूप से ग्रस्त कर देता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नित्य प्रतिदिन का काम करने के लिये मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से ह्रास कर सकता है; या
(ट)जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्तता का लाभ उठाकर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ठ)जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ड)जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ढ)जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता या पौषण करने वाला नातेदार या बालक के माता–पिता के साथ घरेलु संबंध या बालक के साथ सांझे गृहस्थ में रहते हुये बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ण)जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था या स्वामी या प्रबंध या कर्मचारीवृंद होते हुये बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(त)जो कोई किसी बालक का न्यासी या प्राधिकारी की स्थिति मे होते हुये किसी संस्था या बालक के गृह या कही ओर बालक पर लैंगिक हमला करता है; या
(थ) जो कोई यह जानते हुये की बालक गर्भ से प्रवेशन करता है; या
(द) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयास करता है; या
(ध)सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(न)जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिये या तत्त्समय प्रवृत किसी अन्य किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी लैंगिक अपराध किये जाने के लिये दोषसिद्ध किया गया है;या
(प)जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक सार्वजनिक रूप से नंगा करता है या नंगा करके प्रदर्शन करता है।
धारा 10 गुरुतर लैंगिक हमले के लिये दण्ड– जो कोई गुरूतर लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनो मे से किसी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
धारा 11 लैगिंक उत्पीडनकिसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक पर लैंगिंक उत्पीडन किया गया है जब ऐसा व्यक्ति **(i)**लैगिंक आशय ये कोई शब्द कहता है या ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित इस आशय के साथ करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाए या

PTS JODHPUR

(ii)लैगिंक आशय से उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बालक को अपने शरीर का कोई भाग प्रर्दशित करने के लिए कहता है।
(iii)अश्लील साहित्य केप्रयोजनों केलिए किसी प्ररूप या मीडिया मेकिसी बालक कोकोई वस्तु दिखाता है या
(iv)बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार–बार या निरन्तर पीछा करता है या देखता है या सम्पर्क बनाता है, या
(v)बालक के शरीर के किसी भाग या बालक को लैंगिक कृत्य में अंतर्वलित इलेक्ट्रोनिक फिल्म या अंकीय या अन्य किसी रीति के माध्यम से वास्तविक या बनावटी तस्वीर खींचकर मीडिया का किसी भी रूप मे उपयोग करने की धमकी देता है।
(vi) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए पारितोषण देता है।
स्पष्टीकरण– "लैगिंक आशय" में अंतर्वलित कोई प्रश्न तथ्य का प्रश्न होगा।
धारा 12 लैगिंक उत्पीडन के लिए दंड –जो कोई किसी बालक पर लैगिंक उत्पीडन करेगा वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
धारा–13 अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिये बालक का उपयोग–जो कोई किसी बालक का उपयोग मीडिया(जिसके अंतर्गत टेलिविजन चैनलों या विज्ञापन या इंटरनेट या कोई अन्य इलैक्ट्रोनिक प्ररूप या मुद्रित प्ररूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिये हो या नही) के किसी प्ररूप में लैगिंक परितोषण, जिसके अंतर्गत–
(क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन;
(ख) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैगिंक कार्यो (प्रवेशन साथ या बिना) में करना;
(ग) किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलता पूर्ण प्रदर्शन है।
वह किसी बालक का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिये उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।
स्पष्टीकरणः–इस धारा के प्रयोजनों के लिये ''किसी बालक का उपयोग'' पद के अंतर्गत मुद्रण, इलैक्ट्रोनिक, कम्प्यूटर या अन्य तकनीक के किसी माध्यम से अश्लील साहित्य तैयार, उत्पादन, प्रस्तुत, प्रसारित, सुकर और वितरण करने के लिये किसी बालक को अंतर्वलित करना है।
धारा–14–अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिये बालक का उपयोग करना–(1) जो कोई अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिये किसी बालक या बालकों का उपयोग करता है दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किये जाने का भागी होगा तथा दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की होगी और जुर्माने के लिये भी दायी होगा।
(2)यदि अश्लील प्रयोजनो के लिये बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करता है, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नही होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किये जाने का भागी होगा।
(3)यदि अश्लील प्रयोजनों के लिये बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 5 में निर्दिष्ट किसी अपराध को , अश्लील कार्यो मे प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करता है, वह कठोर आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किये जाने का भागी होगा।
(4)यदि अश्लील प्रयोजनों के लिये बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 7 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करता है, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष से कम नही होगी किंतु जो आठ वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्मोने से भी दंडित किये जाने का भागी होगा।
(5)यह अश्लील प्रयोजनों के लिये बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 9 में निर्दिष्ट किसी अपराध को , अश्लील कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करता है, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि आठ वर्ष से कम नही होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किये जाने का भागी होगा।

PTS JODHPUR

धारा 15 बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिये दंड–कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये अंतर्ग्रस्त करने वाले किसी भी रूप में अश्लील सामग्री को भंडारित करता है, वह किसी भी प्रकार के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा।

धारा 16 किसी अपराध का दुष्प्रेरण–कोई व्यक्ति किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो–
पहला–उस अपराध को करने के लिये किसी व्यक्ति को उकसाता है अथवा;
दूसरा–उस अपराध को करने के लिये किसी षडयंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में, और उस अपराध को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये; अथवा
तीसरा– उस अपराध के लिये किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है–

स्पष्टीकरण 1–कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य,जिसे प्रकट करने के लिये वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी अपराध का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस अपराध का किया जाना उकसाता है।

स्पष्टीकरण 2–जो कोई या तो किसी कार्य के किये जाने से पूर्व या किये जाने के समय, उस कार्य के लिये जाने को सुकर बनाने के लिये कोई कार्य करता है और तदद्वारा उसके किये जाने को सुकर बनाता है उस कार्य के किये जाने में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 3–जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिये धमकी या बल प्रयोग या प्रपीडन के अन्य माध्यम से, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरूपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने का प्रयोग या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाली किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के फायदों के माध्यम से भर्ती परिवहित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त करता है उसको उस कार्य के करने में सहायता करना कहा जाता है।

धारा 17–दुष्प्रेरण के लिये दंड–जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है तो उस दंड से दंडित किया जायेगा जो उस अपराध के लिये उपबंधित है।

स्पष्टीकरण–कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप तब किया गया कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षडयंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

धारा 18 किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिये दंड–जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है या किसी अपराध को करवाता है और ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने के लिये कोई कार्य करता है वह अपराध के लिये उपबंधित किसी प्रकार के किसी ऐसी अवधि के कारावास से जो यथास्थिति, आजीवन कारावास के आधे तक का हो सकेगा या उस अपराध के लिये उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा।

धारा 19 अपराधो की रिपोर्ट करना–(1) दंडप्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अतंर्गत बालक भी है) जिसे यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किये जाने की संभावना है या यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा :–

(क) विशेष किशोर पुलिस यूनिट या (ख) स्थानीय पुलिस

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट मे –
(क) एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबद्व की जायेगी
(ख) सूचना देने वाले को पढकर सुनाई जाएगी

(3) जहां उपधारा (1)के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा दी गई है, उसे उपधारा(2) के अधीन सरल भाषा मे अभिलिखित किया जाएगा जिससे कि बालक अभिलिखित की जा रही अतंर्वस्तु को समझ सके।

PTS JODHPUR

(4) उस दशा मे जहाँ बालक द्वारा नही समझी जाने वाली भाषा में अतंर्वस्तु अभिलिखित की जा रही है, वहाँ बालक को यदि वह उसे समझने मे असफल रहता है कोई अनुवाद या कोई दुभाषिया जो ऐसे अर्हताए, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए जब कभी आवश्यक समझा जाए उपलब्ध कराया जाएगा।
(5) जहाँ विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो गया है कि वह बालक जिसके विरूद्व कोई अपराध किया गया है, उसकी देखरेख ओर संरक्षण की आवश्यकता है तब वह कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् उसे यथाविहित रिपोर्ट के चौबीस घन्टे के भीतर तुरंत ऐसी देखरेख और संरक्षण मे (जिसके अतंगर्त बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल मे भर्ती किया जाना भी है।) रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी।
(6) विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलम्ब के बिना परन्तु चौबीस घन्टे की अवधि के भीतर मामलों को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहाँ कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नही किया गया है वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसके अतंर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध मे किए गए उपाय भी है।
(7) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए सद्भावना मे जानकारी देने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दांडित कोई दायित्व उपगत नही होगा।
धारा 20 मामलों की रिपोर्ट करने के लिये मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता – मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियों या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को ध्यान मे लाये बिना किसी सामग्री या वस्तु जो किसी माध्यम के उपयोग से, किसी बालक के लैगिंक शोषण संबंधी है (जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालिका के अश्लील प्रदर्शन करना भी है) यथास्थिति, विशेष किशोर पुलिस युनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा।
टिप्पणी–यह धारा मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया,स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता का उपबंध करती है कि मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक,चाहे जिस नाम से ज्ञात हो,उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में लाए बिना किसी सामग्री या वस्तु जो किसी माध्यम के उपयोग से,किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है(जिसके अतंगर्त अश्लील साहित्य,लिंग संबंधी या बालक या बालिका के अश्लील प्रदर्शन करना भी है)यथास्थिति,विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाएगा।
धारा 21 मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने मे विफल रहने के लिए दंड – (1) कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा (1) या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने मे विफल रहता है या जो धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने मे विफल रहता है वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनो से, दंडनीय होगा।
(2) किसी कम्पनी या किसी संस्था (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का भारसाधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध मे धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने मे असमर्थ रहता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा ओर जुर्माने से दंडनीय होगा।
(3) उपधारा (1) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नही होगे।
धारा 22 मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिये दंड–(1) कोई व्यक्ति जो धारा 3 धारा 5, धारा 7, धारा 9, के अधीन पर किये गये किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध उसे अवमानित करने, उद्यापित करने या धमकाने या बदनाम करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करता है या कोई सूचना उपलब्ध कराता है, ऐसे कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।
(2) जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नही किया जाएगा।

PTS JODHPUR

(3) जो कोई बालक नही है, किसी बालक के विरूद्ध कोई मिथ्या परिवाद करता है या मिथ्या सूचना उसे मिथ्या जानते हुये उपलब्ध कराता है जिससे ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्ही अपराधों के लिये उत्पीडित होता वह ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 23 मीडिया के लिए प्रक्रिया –(1) कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना बालक के संबंध मे कोई रिपोर्ट नही करेगा या उस पर कोई टका–टिप्पणी नही करेगा जिससे उसका प्रतिष्ठा हनन या उसकी गोपनीयता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो।

(2) किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट, बालक की पहचान जिसके अतंर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पडोस या किन्ही अन्य विशिष्टियों को प्रकट नही करेगी जिससे बालक की पहचान का प्रकट अग्रसरित होता हो,

परन्तु ऐसे कारणो से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अधिनियम के अधीन मामले का विचरण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकरण के लिए अनुज्ञात कर सकेगी यदि उनकी राय मे ऐसा प्रकरण, बालक के हित मे है।

(3) मीडिया स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविद्याओं का कोई प्रकाशक या स्वामी संयुक्त रूप और पृथक रूप से अपने कर्मचारी के किसी कार्य और लोप के लिये दायी होगी।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधो का उल्लंघन करता है किसी भी प्रकार के कारावास से, जो छः मास से अन्यून नही होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनो से दंडनीय होगा।

धारा 24 बालक के कथनो को अभिलिखित करना –(1) बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहाँ वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और जहाँ तक संभव हो, उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी स्त्री पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा।

(2) बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी मे नही होगा।

(3) अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी, बालक या परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी समय पर बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार के सम्पर्क में न आए।

(4) किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि मे किसी स्टेशन मे निरूद्व नही किया जाएगा।

(5) पुलिस अधिकारी तब तक यह सुनिश्चित करेगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से संरक्षित है जब तक कि बालक के हित मे विशेष न्यायालय द्धारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो।

धारा 25 मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन–(1) यदि बालक का कथन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)(जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 164 **{183 BNSS}**के अधीन अभिलिखित किया गया है तो ऐसे कथन का अभिलेखन मजिस्ट्रेट, उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी बालक द्वारा बोले गये अनुसार कथन अभिलिखित करेगा।

परंतु संहिता की धारा 164 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है, इस मामले में लागू नही होगा।

(2)मजिस्ट्रेट बालक और उसके अभिभावकों या प्रतिनिधि को संहिता की धारा 207 **{230 BNSS}**के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति, उस संहिता की धारा 173 **{193 BNSS}**के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाईल किये जाने पर प्रदान करेगा।

धारा 26 अभिलिखित किये जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध–(1)यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक के माता–पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की, जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है, उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गये अनुसार कथन अभिलिखित करेगा।

(2) जहां आवश्यक है, वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या किसी दुभाषिये जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये, की सहायता ले सकेगा।

PTS JODHPUR

(3)यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिये मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले मे किसी विशेष शिक्षक या बालक संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र मे किसी विशेषज्ञ, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये, की सहायता ले सकेगा।

धारा 27 बालक की चिकित्सीय परीक्षा (1)उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत नही किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 164क **{184 BNSS}**के अनुसार संचालित की जाएगी।

(2) यदि पीडित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी।

(3) चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता–पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिस पर बालक भरोसा या विश्वास रखता हो।

(4) जहाँ उपधारा (3) में निर्दिष्ट बालक के माता–पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सा जाँच के दौरान किसी कारण उपस्थित नही हो सकता है तो चिकित्सा जाँच, संस्था के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति मे की जाएगी।

धारा–42 अनकल्पिक दंड– जहां कोई कार्य या लोप इस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 166क, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 370, 370क, 375, 376, 376क, 376ग, 376घ, 376ड या धारा 509 **{199, 75, 76, 77, 78, 143, 144, 63, 64, 66, 68, 70(1), 71, 79 BNS}**के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित करता है वहां तत्समय पृवत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी ऐसे अपराध के लिये दोषी पाया गया अपराधी इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के अधीन यथा उपबंधित दंड के लिये, जो मात्रा में गुरूतर हो, दायी होगा।

धारा–42क–अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना–इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी भी विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे और किसी भी असंगतता की स्थिति में इस अधिनियम के उपबंध ऐसी किसी भी विधि के उपबंधों पर असंगतता की सीमा तक अविर्भावी प्रभाव रखेंगे।

PTS JODHPUR